कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.lnjporthohospital.org, E.mail- lnjpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफें में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से रू0 1000/– का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वेबसाईट पर **www.lnjporthohospital.org** अथवा **www.prdbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(क) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल द्वारा अस्पताल में जेनरेटर परिचालन हेतु संस्था द्वारा निम्न शर्त्तोनुकूल कार्यो का निष्पादन उपरांत मासिक भुगतान, सभी खर्च सहित अधिकतम राशि एक लाख रूपयें निर्धारित किया गया है, के आलोक में साईलेंट जेनरेटर (संस्था के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्राण्डेंड कम्पनी का नई डी०जी० सेट) 125 KVA से संस्था द्वारा एकरारनामा अवधि तक विद्युत आपूर्ति कराने हेतु कार्यो एवं निम्न महत्त्वपूर्ण शर्त्तों की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) निविदादाता भारत का नागरिक होना चाहिए।

(02) जेनरेटर बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।

(03) जेनरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।

(04) प्रत्येक प्वाईंट पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की विद्युत आूपर्ति होनी चाहिए।

(05) जेनरेटर कनेक्शन पूरे अस्पताल भवन, आकस्मिक कक्ष, चिकित्सक कर्तव्य कक्ष एवं निदेशक के आवासीय कार्यालय में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी/पदाधिकारी के आवास में जेनरेटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

(06) गैर सरकारी प्रेषण संख्या 133 (HS) दिनांक 23/02/2011, स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 9230 दिनांक 05/11/2012 (पत्र संलग्न)

A. ***Specification for DG sets:-*** Diesel Generating set complete with ISI Marked diesel engines up tp 19 KW and beyond 19 KW it will be generally conforming to IS/BS.

B. ***Diesel engine:-*** Fuel tank with capacity 12 hrs. continuous running at full load.

C. ***Standard Control Panel:-*** The control panel shall be fabricated from steel sheet of minimum 1.5 mm thick duly pre-treated and aesthetically finished. The control panel shall be totally enclosed, dust and vermin proof, floor mounted/wall mounted/skid mounted type. The control panel with degree of protection IP-53 as per IS:13947 (Part-1) 1993.

18/09/20 18.9.20 Bandra 18.9.2020

(07) साईलेंट जेनरेटर (शोरूम से निकाली गई नई डी०जी० सेट) से विद्युत आपूर्ति करने के लिए मेनपैनल की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जायेगी।

(08) जेनरेटर परिचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अन्दर संस्था के नाम से खरीदी गई 125 KVA का साईलेंट जेनरेटर नई डी०जी० सेट एवं अन्य सामग्री (शोरूम से निकाली गई) से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मुल प्रति की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अस्पताल के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही जेनरेटर परिचालन हेतु संस्था के साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।

(09) संस्था के द्वारा लॉगबुक संधारण करना होगा, जिसका प्रारूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(10) स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अगर जेनरेटर परिचालन से संबंधित निर्धारित दर में किसी प्रकार की घटोतरी या बढ़ोतरी होती है तो उक्त माह से हीं नये दर को तत्काल लागू कर संस्था को भुगतान किया जायेगा।

(11) 30 (तीस) मिनट प्रतिदिन यानी प्रत्येक माह 15 घंटा तक दी जाने वाली जेनरेटर सेवा निःशुल्क होगी। 30 (तीस) मिनट प्रतिदिन यानी प्रत्येक माह 15 घंटा के बाद दी जाने वाली जेनरेटर सेवा का प्रतिघंटा के आधार पर **(जिसकी सम्पुष्टि बिजली विभाग द्वारा कराने के पश्चात ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना सम्पुष्टि के संस्था को भुगतान नहीं होगा)** विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) साइलेंट जेनरेटर डी०जी० सेट खराब होने की स्थिति में कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जेनरेटर उपलब्ध कराना होगा। यदि 24 घंटे के अन्दर संबंधित जेनरेटर नहीं बनायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू०-5000/– प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(13) साइलेंट जेनरेटर खराब होने की स्थिति मे बिजली बाधित नहीं हो, के आलोक में कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 90 दिनों के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एकरारनामा अवधि तक जेनरेटर परिचालन हेतु एक अतिरिक्त 125 KVA का शोरूम से निकाली गई साइलेंट जेनरेटर डी0जी0सेट अस्पताल परिसर स्थित अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर चयनित संस्था द्वारा लगायें गये जेनरेटर सेट के आस–पास पूरी व्यवस्था के साथ तैयार रखना होगा। **वैकल्पिक व्यवस्था** के तहत उपलब्ध कराई गयी साइलेंट जेनरेटर हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान संस्था को नहीं की जायेगी यानि वैकल्पिक जेनरेटर विल्कुल निःशुल्क रहेगा। यदि एकरारनामा तिथि से 90 दिनों तक जेनरेटर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू 5000/– प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि मे से कटौती की जाएगी। यदि एकरारनामा तिथि से 120 दिनों में संस्था द्वारा शोरूम से निकाली गई साइलेंट जेनरेटर डी0जी0सेट उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा स्वत रद् हो जायेगी।

(14) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में किये जाने वाले सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमो हेतु आवश्यकतानुकूल अस्पताल परिसर स्थित भवनों को रंग–बिरंगें झालर लगाने सहित बिजली की समुचित व्यवस्था संस्था द्वारा किया जायेगा।

(15) अस्पताल परिसर अन्तर्गत सभी जगहों में प्रतिदिन भरपुर रंग बिरंगें समूचित रौशनी की व्यवस्था, संस्था द्वारा सभी सामग्रियों यथा ब्राण्डेंड कम्पनी का स्टील पोल, (समतल जमीन से 01 फीट से लेकर 20 फीट उँचाई तक एवं 01 ईच से लेकर 3 ईच मोटाई तक) तार, बिजली से संबंधित सभी सामग्री एकरारनामा अवधि तक मरम्मति एवं रख–रखाव करना होगा। विधुत उपकरण/बल्ब यदि खराब होती है तो उसे 24 घंटे के अन्दर संस्था द्वारा बदलना अथवा मरम्मति नहीं करायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू0 1000/–प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(16) अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर एवं अस्पताल भवनों में लगायें गयें सभी प्रकार के बल्ब, तार अथवा बिजली संबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की भी क्षति होती है तो उक्त परिस्थिति में मरम्मती एवं रख–रखाव संस्था द्वारा किया जायेगा।

(17) अस्पताल में (01) एक 30 इंच की LED TV (अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर) प्रत्येक माह का रिचार्ज सहित लगाना होगा।

(18) ठंड के मौसम से बचाव हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए रूम हीटर उपलब्ध कराने सहित रख–रखाव करना होगा।

(19) अस्पताल के कमरों में लगाई गई AC एवं AC उपकरणों की मरम्मती एवं रख–रखाव हेतु एक मिस्त्री रखना होगा।

18/09/20 18.9.20 Bandna 18.9.2020

(20) अस्पताल परिसर एवं भवनों में लगाई गई विद्युत उपकरणों की मरमत्ती एवं रख–रखाव हेतु एक बिजली मिस्त्री रखना होगा।

(21) जेनरेटर परिचालन हेतु 24X7 के तहत यथा – एक पाली यानि 8 घंटा × 1 श्रमिक × 3 पाली के तहत कार्य करने हेतु कुल 3 (तीन) श्रमिकों को **(वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में निर्धारित मानदेय का भुगतान)** रखना होगा।

(22) चयनित संस्था द्वारा श्रमिक एवं अन्य कर्मी के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई / अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण–पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

(23) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय सहित ESI,EPF वगैरह का भुगतान संस्था द्वारा ***(विपत्र के साथ श्रमिकों को संस्था द्वारा कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैक पासबुक सहित ESI,EPF वगैरह से संबंधित जमा की गई राशि का चलान कि छायप्रति संलग्न करना होगा)*** करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक रू0 5000 / –प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(24) निविदा शर्त्तोनुकूल कार्यो का संचालन करना होगा, विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत जेनरेटर में लगी मीटर में खराबी एवं जेनरेटर द्वारा प्रदुषण फैलाने जैसी शिकायत अगर मिलता है अथवा जेनरेटर परिचालन सही नहीं पाये जाने, जैसी शिकायत प्राप्त होने पर अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा जॉचोपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस **(10)** प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(25) जेनरेटर परिचालन की अवधि के समय कर्मी / श्रमिकों द्वारा मास्क, टोपी एवं दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा, जेनरेटर परिचालन करने वाले यथा श्रमिकों / संबंधित कर्मी बिल्कुल स्वस्थ्य होना चाहिए उनको टाइफाईड, संक्रमण एवं अन्य कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक तीस दिनों पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र अस्पताल के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।

(26) सभी कर्मी / श्रमिकों द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, छपा हुआ निर्धारित पोशाक पहनकर हीं संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।

(27) अस्पताल परिसर में रोगी के हित में अस्पताल भवनों का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होने के उपरान्त विद्युत क्षमता की वृद्धि हो जायेगी। उक्त परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साईलेंट जेनरेटर **(**शोरूम से निकाली गई नई डी०जी० सेट**)** उपलब्ध कराना होगा। उसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी खर्च सहित प्रति KVA रू0 1000 / – के दर से प्रतिमाह देय होगा इसके अतिरिक्त ईंधन, मोबिल, सर्विसिंग एवं सभी खर्च सहित 125 KVA के लिए निर्धारित L1 दर के आधार पर क्रय समिति के द्वारा इसका दर निर्धारण किया जायेगा।

(28) जेनरेटर परिचालन से संबंधित निविदा में दर्शाई गई सभी शार्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा ***(इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।***

(29) ऑपरेशन, आपातकाल अथवा किसी भी रोगी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करने के दौरान अचानक बिजली बाधित होती है तो उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जेनरेटर परिचालन करने तक संबंधित जगहों पर बिजली अविलम्ब उपलब्ध हो सके इसके लिए निविदादाता द्वारा हाई पावर का आवश्यकतानुकुल बैट्री एवं इनभर्टर लगाना होगा।

(30) निविदा में दिये गये कार्यों की विवरणी के अनुरूप मासिक भुगतान के अतिरिक्त 125 KVA जेनरेटर परिचालन में प्रतिघंटा कम्पनी द्वारा निर्धारित ईधन, मोबिल की खपत, सर्विसिग एवं सभी खर्च के आधार पर दर एकमुश्त अंकित करना होगा। उक्त कार्य की अनिवार्यता एवं महत्ता के आलोक में गणना से कम राशि अंकित करने पर वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह मान्य नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय न्यूनतम मानदेय से कम दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मैं अपने खर्च से कार्यों का संपादन एकरारनामा के अनुरुप करूंगा।

(31) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र / कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व / पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व / पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व / पश्चात् अथवा किसी

18/09/20 18.9.20 Bandra 18.9.2020

भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ–पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरूद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षो तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(32) **L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाला संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रुप से सफल संस्था से L1 दर के आधार पर कार्य करने हेतु मौका दिया जायेगा, साथ ही साथ L1 दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि अस्पताल प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।**

(33) **L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व/पश्चात् L1 दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ जमा किये गये कागजातों को अस्पताल प्रशासन द्वारा सत्यापन (निर्गत विभागों से) कराने के दौरान फर्जी पाई जाती हैं तो L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L2 दर को L1 दर मान कर L2 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।**

(34) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा स्थापित की गई साइलेंट जेनरेटर डी0जी0सेट0 सहित परिसर एवं भवनों में लगाए गए पोल एवं अन्य सामग्री वगैरह (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) ***एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा।*** तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भूगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा जेनरेटर सेट सहित सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने कि तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने कि तिथि से रू. 5000/– प्रतिदिन कि दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा कि गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि मे से कटौती करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

(35) **अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र यथा पटना उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा निपटारा कराया जायेगा।**

(36) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक मे वित्तीय निविदा खोलने के 180 दिन तक हीं निविदा कि वैद्यता होगी।

(37) **किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

(38) साईलेन्ट जेनरेटर 125 KVA डी0जी0 सेंट अस्पताल परिसर में रखने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कमरा अथवा सेड सहित समतल जमीन से 03 फीट उचाई तक सिमेंटेड बेस बनाकर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

(39) संस्था द्वारा पिछले माह का जमा की गई सभी प्रकार के कर कि चलान विपत्र के साथ संलग्न करना होगा, तत्पश्चात ही अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

(40) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्त्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(41) 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अतिरिक्त बिहार के प्रमुख पर्व, पर्व मिलन समारोह, सेवा निवृत विदाई समारोह आदि में होने वाली सभी खर्च का वहन संस्था द्वारा करना होगा।

(42) माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण

18/09/20 18.9.20 Bandna 18.9.2020

व अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यो के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(43) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यो की मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को रोगी कल्याण समिति के द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र एवं अन्य सामग्री से सम्मानित किया जायेगा, संबंधित अभियान के आलोक में प्रथम, द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान संस्थान को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र के राशि में से जीरो (0) प्रतिशत से लेकर पॉच (05) प्रतिशत तक कटौती करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन अपने पास सुरक्षित रखती है।

(44) संबंधित इकाई के ऑन डियूटी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु निदेशीत किया जाता है, तो संबंधित कार्य को प्रथम प्राथमिकता देते हुए तत्काल निष्पादन कर संबंधित पदाधिकारी को संतुष्ट करना होगा अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच **(05)** प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(45) समय सीमा के अन्दर संबंधित कार्य नहीं कराने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से पॉच **(05)** प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

(46) अस्पताल में लगाई गई जेनरेटर एवं मेनपैनल की आंतरिक सुरक्षा एवं अस्पताल में हो रही जेनरेटर परिचालन संबंधित कार्यो की निगरानी हेतु ब्राण्डेड कम्पनी का **06 (छ) पीस CCTV** कैमरा लगाने सहित रख–रखाव करना होगा। जिसकी माइक के साथ उपकरण एवं **32** इंच **T.V** निदेशक कक्ष, लिपीकीय कार्यालय कक्ष एवं अस्पताल स्थित संस्था का कार्यालय कक्ष में लगाना होगा।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों / फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्त्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।

(01) तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०–1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESI निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(05) EPF निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) गैर सरकारी संस्थाओं / कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया–प्रति सलंग्न करना होगा। अगर निविदादाता फर्मों / प्रतिष्ठानों / सर्विस प्रोभाईडरों / संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि पहले का बना होना च काहिए।

(08) GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

18/09/20 18.9.20 18.9.2020

(09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत उधोग आधार निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(10) निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रूपये तक का Solvency Certificate या 1,00,000/- रूपये का Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से Fixed Deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(11) Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रमाणित हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

(12) विगत तीन वर्षो का आयकर Return (Assessment Year AY- 2017-18, 2018-19, 2019-20) प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2016-17, 2017-18, 2018-19) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

(14) बिहार विद्युत शुल्क एक्ट "1948" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(15) संस्था द्वारा बिहार विद्युत शुल्क एक्ट "1948" के अधीन निबंधित माह से लेकर GST लागु होने तक की जमा की गई सभी Return की Acknowledgement की प्रत्येक प्रति संलग्न करना होगा। जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का निर्गत होना चाहिए।

(16) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ –पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(17) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESI,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(18) निविदादाता के आवास (जो वर्तमान मे है), आवास (स्थाई / अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(19) निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अधतन चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(20) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(21) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी विभागों / कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा ***(आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों / कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम संस्थान / सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप)*** नही लगा है, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

Bandra 18.9.2020

18/09/20 18.9.20

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं0	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट शपथ पत्रों की पूरा विवरण।		निबंधन सं0 / पत्रांक सं0 / अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों की क्रमबार संख्या	कागजातों की कुल संख्या
1	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।				001 To	
2	संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
3	अग्रधन राशि 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।				To	
4	ESI निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
5	EPF निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
6	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिषमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र।				To	
7	पैन कार्ड की प्रति।			X	To	
8	GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र।	**GST No**			To	
9	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र।				To	
10	Solvency Certificate या fixed deposit या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) का।				To	
11	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।				To	
12	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।	2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
		2019-20 :-			To	
13	विगत तीन Financial Year को मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000./- (दो करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2016-17 :-			To	
		2017-18 :-			To	
		2018-19 :-			To	
14	बिहार विद्युत शुल्क एक्ट "1948" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र।				To	
15	संस्था द्वारा बिहार विद्युत शुल्क एक्ट "1948" के अधीन निबंधित माह से लेकर GST लागु होने तक की जमा की गई सभी Return की Acknowledgement की प्रत्येक प्रति।				To	
16	निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हैं, का शपथ–पत्र।				To	
17	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को उनके बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESI,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में जमा करना होगा तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, का शपथ–पत्र				To	
18	निविदादाता का आवास (जो वर्तमान मे है) आवास (स्थाई / अस्थाई) का आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण–पत्र।				To	

18.9.20 18-9-2020

19	निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र।			To	
20	निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति।		X	To	
21	बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप– यथा (आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) नही लगा है, का शपथ–पत्र।			To	
				कुल योगः–	

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा नाम :–	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा पता :–	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :–	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :–	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :–	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :–	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोवाईल न० :–	

निविदादाता का हस्ताक्षर :

18/09/20 18.9.20 Bandra 18.9.2020

(ग) वित्तीय निविदा से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण शर्तों की विवरणी निम्नलिखित हैं।

(A) शर्त (क) के सभी क्रमांको में दर्शाई गई कार्यो की निष्पादन उपरान्त मासिक भुगतान, सभी खर्च सहित अधिकतम एक लाख रूपयें निर्धारित किया गया है, जिसमे संस्था द्वारा अंकित न्यूनतम दर के आधार पर **L1** का चयन किया जायेगा।

(B) वित्तीय निविदा में **125 KVA** का प्रतिधंटा के आघार पर सभी खर्च यथा– ईंधन, मोबिल, सर्विसिग एवं अन्य खर्च को जोडकर एकमुश्त दर अंकित करना होगा, जिसमे संस्था द्वारा अंकित न्यूनतम दर के आधार पर **L1** का चयन किया जायेगा।

वित्तीय निविदा का प्रारूप

➢ वित्तीय निविदा में **A** एवं **B** में संस्था द्वारा अंकित न्यूनतम दर को जोड़कर **L1** का चयन किया जायेगा।	➢ **125 KVA**
A शर्त (क) के सभी क्रमांको में दर्शाई गई कार्यो की निष्पादन उपरान्त मासिक भुगतान, सभी खर्च सहित अधिकतम एक लाख रूपयें निर्धारित किया गया है जिसमे निविदादाता द्वारा अंकित न्यूनतम दर के आधार पर **L1** का चयन किया जायेगा। **B** वित्तीय निविदा में **125 KVA** का प्रतिधंटा के आघार पर सभी खर्च यथा– ईंधन, मोबिल, सर्विसिग एवं अन्य खर्च को जोडकर एकमुश्त दर अंकित करना होगा, जिसमे निविदादाता द्वारा अंकित न्यूनतम दर के आधार पर **L1** का चयन किया जायेगा।	➢
(A+B) कुल योग :-	➢

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्त्तो की पूर्ण विवरणी :–

(01) निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ संलग्न किया गया सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों/शपथ पत्र में दर्शाई गई सुचना का अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् हीं संस्था द्वारा किये गये कार्यो के आलोक में संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(02) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्त्तोनुकूल संस्था द्वारा उलंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध अस्पताल प्रशासन को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखो/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् हीं संस्था को संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा अगर सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्त्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं जमानत राशि को जब्त करते हुए अगले दस वर्षो तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(03) शर्त्त "ख" के तहत संस्था द्वारा किसी भी कार्य को करने हेतु सक्षम विभाग से बनवाई गई निबंधन प्रमाण पत्र, के आलोक में कोई भी संस्था इस निविदा में भाग ले सकते हैं।

(04) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(05) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होगा। कर्मिया/श्रमिकों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(06) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण–पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(07) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्त्तो को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय/चयन समिति के समक्ष खोला जायेगा।

18.9.20 18.9.2020

(08) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हों।

(09) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जा रही कार्यों की गुणवता से संबंधित अस्पताल के किसी भी पदाधिकारी / कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर अस्पताल प्रशासन / राज्य स्वास्थ्य समिति / स्वास्थ्य विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।

(10) तकनीकी रुप से सफल होने के पश्चात् अगर कोई संस्था वित्तीय निविदा में **L1** दर हो जाता हैं, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान नाम / पता वगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम / पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलतियाँ यथा त्रुटि / स्पेलिंग वगैरह लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संस्था द्वारा जमा कि गई जमानत राशि एवं विपत्र पर अंकित राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद् कर दिया जायेगा तथा **L2** दर अंकित करने वाले संस्था को **L1** दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।

(11) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना, में रोगियों को भोजन नास्ता आपूर्ति करने हेतु वर्ष 2020 में विभिन्न सामाचार पत्रों में निकाली गई निविदा के माध्यम से वर्ष 2020 में चयनित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।

(12) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी / श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(13) संचालक, कर्मी एवं श्रमिकों को अस्पताल पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि श्रमिकों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाते हुए नए श्रमिकों को संस्था द्वारा रखा जायेगा।

(14) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000 / –NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 21 दिनों के अन्दर निविदा शर्त्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।

(15) अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।

(16) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी / कर्मी के पास संधारित होगा।

(17) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

(18) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

नोट :–

(I) **निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नही करेंगे एवं शपथ–पत्र क्रमवारनुकूल अलग–अलग बना होना चाहिए।**

(II) **जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी विभाग / कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट–सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार–बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य मे सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों / कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम संस्थान / सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते है।**

(III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तो से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्व0 अभिप्रमाणित छाया–प्रति का क्रमवार नम्बरिंग ***(स्व अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा)*** करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।

18/09/20 18.9.20 Bandra 18.9.2020

(IV) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उलंगन का पता चलता हैं तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
पटना।

1. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के प्रतिनिधि। :-
2. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पटना। :-
3. जिला लेखा पदाधिकारी, पटना। :-
4. वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना। :-
5. डॉ0 अमरनाथ प्रसाद, कन्सल्टेंट। :-
6. डॉ0 रमन कुमार सिंह, निश्चेतक। :-
7. डॉ0 सरसिज नयनम, रेजिडेंट। :-
8. डॉ0 जावेद अनवर, निश्चेतक। :-
9. डॉ0 देवेन्द्र कुमार, जी0डी0एम0ओ। :-
10. डॉ0 मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी। :-